19.10.2022

आवेदकगण/आरोपीगण सलीम व रहीस व्दारा श्री सुहेल निसार अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदकगण/राज्य व्दारा श्री एस.एस. मावई अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदकगण/आरोपी के धारा 439 दं0प्र0सं0 के प्रथम नियमित जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र देपालपुर, इंदौर के अपराध क्रमांक 338/2022 अंतर्गत धारा धारा 294, 323, 354, 34, 506, भा.द.वि. एवं धारा 03 व 05 म. प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2005 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदन पर उभयपक्षों के तर्क सुने गए।

आवेदकगण की ओर से यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध असत्य और झुठा मुकदमा बनाया गया है। सदर प्रकरण के सहअभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 104/2022 आदेश दिनांक 17.10.2022 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदकगण का अपराध सहअभियुक्तों से भिन्न नहीं है। आवेदकगण को दिनांक 18.10.2022 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका होकर अनुसंधान में आवेदकगण की आवश्यक्ता नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण प्रतिष्ठित परिवार के होकर कृषक है, वर्तमान में सोयाबीन कटाई का कार्य चल रहा है। आवेदकगण के जेल में रहने के कारण उनके वर्षभर की कमाई नष्ट हो जावेगी। आवेदकगण इंदौर जिते के स्थायी निवासी है। जमानत पर रिहा होने की दशा में उनके फरार होने या गवाहों को बिगाड़ने की कोई संभावना नहीं है। बल्कि आवेदकगण/आरोपीगण प्रत्येक पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। आवेदकगण/आरोपीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष योग्य राशि की प्रतिभूति व बंधपत्र प्रस्तुत करने को तत्पर है। आवेदकगण माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेशों व निर्देशों का पूर्णरूप से परिपालन करेगा प्रत्येक पेशी दिनांक पर नियत समय पर उपस्थित रहेगा इसमें किसी प्रकार की भूल एवं त्रुटि नहीं करेगा। आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से आशिक पटेल ने शपथ पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दप्रसं के तहत का प्रस्तुत किया है। आवेदकगण उसके चचेरे भाई हैं। इसके अलावा अन्य किसी अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में न तो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक व्दारा उक्त आवेदन पर

आपत्ति की गई है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक व्दारा कोई आपत्ति नहीं की गई है कि आवेदक/आरोपी का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र नहीं है। इस संबंध में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं कि पूर्व में कोई जमानत आवेदन किसी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से निराकृत हुआ है या लंबित है। जिससे कि यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन प्रतीत होता है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी अनुसार फरियादी दिनांक 05.10.2022 को शाम करीबन 05 बजे वह अपने खेत से काम कर अपने घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में उसके गावं का नौशाद मुसलमान उसके पास आया और ब5ुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं मुझसे निकाह करलो और मुसलमान बन जाओ तो उसने नौशाद से कहा कि तुम मुझे क्यों छेड़ रहे हो और क्यों धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हो मैं अपने पति को बताउंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे और धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहे थे। तो नौशाद बोला कि अगर तूने अपने पति को कुछ भी बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। फरियादीया ने अपना हाथ छुड़ाया तभी उसका पति अर्जुन वहां आ गया और सारी घटना उन्हें बताई। मेरे पति को नौशाद ने मां बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगा तभी वहां उसके भाई सेट्टी, सलीम और रईस आ गए। चारों फरियादीया व उसके पति को नंगी नंगी गालियां देने लगे और बोले कि तुम सालो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फरियादिया के पति ने गाली देने से मना किया तो चारों ने उसे डंडे से मारा जिससे उसके पति को बांई जांघ में पीछे की तरफ व बांई भूजा पर चोट आई तभी वहां फरियादिया का भांजा संदीप और ननंद सावित्री बाई आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया। चारो जाते जाते बोले कि अगर थाने पर रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 354, 323, 294, 506 34 भादवि व धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आवेदकगण/आरोपी दिनांक 18.10.2022 से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आक्षेपित आरोप आजन्म कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्तों को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदकगण/आरोपीगण का प्रकरण जमानत पर उन्मुक्त आरोपीगण से भिन्न नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रकरण के गुणदोष पर टिप्पणी किए बगैर आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से

प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आवेदकगण/आरोपीगण प्रत्येक द्वारा निम्न शर्तों के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर की संतुष्टि योग्य 50,000/–रूपए की सक्षम जमानत व मुचलका प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

–जमानत की शर्तें –

1– आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया जावेगा।

2–आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा साक्षियों को प्रलोभित व प्रभावित नहीं किया जावेगा।

3–आवेदकगण/आरोपीगण अन्य अपराध में सम्मिलित नहीं होगा।

4–आवेदकगण/आरोपीगण न्यायालय की अनुमति के बगैर देश के बाहर नहीं जाएगा।

5–आवेदकगण/आरोपीगण उसके निवास स्थान का पता परिवर्तित होने की दशा में नवीन पते की सूचना अविलंब संबंधित आरक्षी केन्द्र व विचारण न्यायालय को प्रदान करेंगा।

आवेदकगण/आरोपी के द्वारा जमानत आदेश की शर्तो का उल्लघन किये जाने पर जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

संबंधित जेल प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के संक्रमण मुक्त होने पर आवेदकगण/आरोपी को जमानत पर रिहा किया जावे अन्यथा कि दशा में संक्रमण मुक्त होने के उपरांत जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय की रिमाण्ड पत्रावली वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दायरा पंजी एवं सी0आई0एस0 में दर्ज कर अभिलेखागार में संचित किया जावे।

(निलेश यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
देपालपुर, जिला इंदौर म0प्र0

(निलेश यादव)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
देपालपुर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)